बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 17/03/26

संचिका संख्या–07/मु०–01–105/2025 1061 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–2615/2025 दयानंद भारती एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 24.03.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं०–2615/2025 में दिनांक 24.03.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है–

2. Learned counsel appearing on behalf of the petitioners seeks to withdraw the present writ petition to file Patna High Court CWJC No.2615 of 2025(2) dt.24-03-2025 detailed individual representation before the Director, Primary Education in light of order contained in Memo no.1790 dated 16.10.2024 by which similarly situated teacher namely Satendra Kumar Ojha was given similar relief, as prayed for in the present writ petition.

3. Considering the submission made on behalf of the petitioners the Director, Primary Education is directed to redress the grievance(s) of the petitioners as prayed for in the present writ petition and dispose of the individual representations, within a period of six weeks from the date of communication of this order, in accordance with "

3. उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–23.02.2026 तथा दिनांक–25.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी तथा वादी श्री दयानंद भारती एवं अन्य द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्त्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई। नियुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा बी०एड० की प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर ली गई थी। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप वे एन०आई०ओ०एस० द्वारा आयोजित छः माह के सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11.06.2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार एल०पी०ए० सं०–1699/2013 के अपीलकर्त्तागण के

सदृश्य हमलोगों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि (नियुक्ति तिथि 21.08.2014) से प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए।

5. ध्यातव्य है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत वर्ष 1 से 5 हेतु मूल कोटि के शिक्षकों के नियोजन में न्यूनतम प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में बी०एड० के आधार पर नियोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था। फलतः बी०एड० योग्यताधारी आवेदकों द्वारा मूल कोटि में नियोजन हेतु अप्रशिक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया। श्री दयानंद भारती एवं अन्य याचिकाकर्ताओं इसी श्रेणी के शिक्षक हैं।

6. बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शत्त) नियमावली, 2012 के कंडिका–5 (ङ) में अंकित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बी०एड० की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. याचिका सं०–14652/2012 क्रांति कनक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से उद्भूत एल०पी०ए० सं०–1699/2013 में दिनाक 27.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प स०–7/मु03–30/2016–455, दिनांक 30.03.2019 द्वारा डी०पी०ई० के दो वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉडयूल उत्तीर्ण करने के उपरान्त छः माह के संवर्द्धन कार्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों (जिला सवर्ग एवं नियोजित शिक्षक सहित) को दो वर्षीय डी०पी०ई० प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से हीं प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया।

8. समरूप वाद याचिका सं0–9416/2019 सत्येंद कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 04.03.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1790 दिनांक 16.10.2024 पारित किया गया था। अंकनीय है कि उक्त विभागीय आदेश द्वारा वादी के मामले को एल०पी०ए० सं०–1699/2013 में पारित न्यायादेश के सदृश्य मानते हुए उन्हें नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया था।

9. उक्त आदेश की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में पाया गया की वादी का मामला एल०पी०ए० सं०–1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी

सदृश्यता नहीं है। प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत किया गया जबकि एल०पी०ए० सं०–1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल०पी०ए० सं०–1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.09.2016 से स्पष्ट है कि इन वादीगाणों को विलम्ब से वर्ष 2007–2009 तथा 2008–2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक 01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

10. माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष रूप से अंकित की गई है कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

11. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादीगणों का नियोजन वर्ष 2014 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना

दिनांक–28.06.2018 द्वारा संशोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त्त निर्धारित किया गया था।

12. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन–पाठन हेतु नियुक्त किया जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

13. वादीगण के मामले में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागू होता है न कि अन्य मामलों में।

14. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०–9416/2019 में दिनांक–04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1017 दिनांक–12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु०–01–105/2025..1061.../पटना दिनांकः–.....12.03.26

प्रतिलिपि :– **1. Dayanand Bharti Son of Lakshmi Narayan Sah, resident of village - Banmankhi Chakla, Ward no.7, P.S- Banmankhi, District- Purnea and presently posted as Primary Teacher, Middle School Lila, Bhawanipur, Purnea**

2. Trilok Kumar Jha, Son of Dina Nath Jha, resident of village - new Prabhat colony Purnia, P.S- K. hart Purnia, District- Purnea, Presently posted as Primary Teacher in Middle School Chikni, Purnea.

3. Santosh Kumar Singh, Son of Kapindra Narayan Singh, Resident of VillageSasri Istamrar Milik, P.S.- Sarsi, P.O.- Sarsi, District- Purnia, Presently Posted as a Primary Teacher in Primary School Nathnagar, Samdaha.

4. Sanjeev Kumar, Son Of Tilkeshwar Bishwas, Resident of Village Masuriya, P.S.-Sarsi, District- Purnia, Presently posted as Primary Teacher in Middle School, Sarsi.

5. Shambhu Kumar Jha, Son of Dina Nath Jha, Resident of Village- Prabhat colony, Purnia, P.S. K Hat. District- Purnia, Presently posted as Primary Teacher in Middle School Bankora.

6. Ashwini Mohan Jha, Son of/C/O - Surender Jha, Resident of VillageMangal colony Tatma toli bhatta bazar P.S.- Sahayak Khajanchi K Hat District- Purnia, presently posted as Middle School Bishnupur.

7. Bhawna Jha, W/O -Prawin kumar Manjul Resident Of Village- Saheban Hata Janta, P.S.- Khajanchi Hat, District- Purnia presently posted as Primary Teacher in Middle School Sausa.

8. Jayanti Kumari, W/O Suman Jee Prakash Resident of Village- Sharda Nagar, P.S.-K Hat, District- Purnia, Presently posted as Primary Teacher in Primary School Jhil Tola, Baghmara.

9. Mousmi Choudhary, W/O Sanjeeb Kumar Chatterjee Resident of VillageUttar bhatta durgawariv Ranjit Niwas, bhatta bazar P.S.- K. Hat, DistrictPurnia, as Primary Teacher in Middle School Knya Bhattha Purnea.

10. Punam Kumari Singh, W/O, Uday Kumar Singh Resident of Village- Jai Mangal Colony, Newa Lal Chauk, P.S.- Khajanchi, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Andeli.

11. Pankaj Kumar Mishra, Son of Rajdave Mishra, Resident of Village- Aliganj, P.S. Barhara Kothi. District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Adarsh Middle School Magurjan.

12. Anuja Verma, W/O Bishwabandhu Varma, Resident of Village- Shivaji Colony Madhubani, P.S.- Kehat, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Middle School Khutiya.

13. Rebat Lal Sharma, Son Of Baudhi Sharma, Resident of Village- Diyara Chandpur, P/S -Godhitola Sapaha, District Katihar, presently posted as Primary Teacher in Primary School Godhi Tol,Sapaha, Rupauli,Purnea.

14. Om Prakash Sah, Son of Ram Bhajju Sah, Resident of Village- Dhusar Tikapatti, P.S.-Tikapatti, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Godhi Tola Sapaha. Patna

15. Md. Muzammil, Son of Md. Mirshad Alam, Resident of Village- Chunamari, P.S.- Routa, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Rahmat Nagar Jawe.

16. Ashutosh Kumar Sinha, Son of Parma Nand Prasad, Resident of Village Manna Khudaband Nagar Majhua Pemraj Milik, P.S.- Sarsi District- Purnia, Presently posted as Primary Teacher in Primary School Madari Tola Gangeli, K. Nagar, Purnea.

17. Om Prakash, Son of Umesh Prasad Mehta, Resident of Village Bajrang Puri Argara Chowk Madhubani, P.S. Kehat, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Sarapanch Tola Bhawanipur Purnea.

18. Amita Kumari, W/O Karn Kumar, Resident of Village Dumra Mahabal P.S.-Bhawanipur, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Middle School Dumra.

19. Md. Salamat Murtaza, Son of Md. Idris Alam, Resident of Village- Palasbari kanfalia P.S.-Rauta, District- Purnia, presently posted asPrimary Teacher in Primary School Khikhir Tola.

20. Md. Akhlaqur Rahman, Son of Md. Ishaque, Resident Of Village- Rahua. P.S. K Nagar, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Roy Tola, Rahua.

21. Gaurav Kumar, Son of Shyam Kumar Das, Resident of Village Belwa, P.S. Muffashil Ranipatra, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Bhathoriya, Purnea, East.

22. Shankari Chakraborty, W/O Niranjan Sharma, Resident of Village- Line Basti Tatma Toli Bhatta Bazar, P.S.- K Hat, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Middle School Tatama Toli Purnia.

23. Lalan Kumar, Son of Arjun Prasad Singh, Resident of Village- Bhorkath, Parabata Kalwara, P.S.- Pashraha, District- Khgaria, presently posted as Primary Teacher in Primary School Talatol Satkodariya.

24. Sarita Verma, W/O Kumar, Saurabh, Resident Of Village- Harijan Tola Harda basti, P.S.- K.Hat, District- Purnia, presently posted as Madan Adarsh Middile School, Purnea.

25. Barun Kumar, Son of Kapil Dev Prasad Yadav, Resident of Village-Near Dr. Shymal Sen, Lalit Bhawan Rajni Chauk Bhatta Bazar, P.S.-K.Hat, DistrictPurnea, presently posted as Primary Teacher in Primary School Ramghat Belauri.

26. Md. Absar Alam, Son of Md. Shamsul Hoda, Resident of Village Channi, Purnia Raulahat, P.S.-Rauta, District-Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Kolha, Chandawar.

27. Inderjit Kumar, Son of Late Hare Krishna Swarankar, Resident of VillageRauta, P.S.- Rauta, District-Purnia, presently posted as Primary Teacher in Primary School Pirmajanu.

28. Rajesh Kumar, Son of Satyanarayan Yadav, Resident of Village Maharaji P.S.-Jankinagar, District- Purnia, presently posted as Primary Teacher in Middle School Maharaji.

29. Manoj Kumar Nirala, Son of Harinand Yadav, Resident of Village- Pipara, P.S.. Banmankhi, District- Purnia presently posted as Primary Teacher in Patna High Court CWJC No.2615 of 2025(2) dt.24-03-2025 3/4 Middle School Haripurmadi Tola Mohaniya Pashchim.

30. Rana Pratap Singh, Son of Rajdeo Singh, Resident Of Village- Kajhi Hirdayanagar, P.S.-Banmankhi, District- Purnia, Persently posted as Middle School Majhua, Premraj

31. Ashok Kumar, Son of Rajendra Sah, Resident of Village- Magurjan nipania, P.S.-Barhara Kothi, District- Purnia, initially was posted as Primary Teacher in kanya Primary School Nipniya and presently posted as plus 2 Teacher in Vachcha Madhyamik Vidyalay Mohdipur, Bangra, Amour.को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07 / मु०–01–105 / 2025...1061/ पटना दिनांकः–..17.03.26

प्रतिलिपि :–जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07 / मु०–01–105 / 2025..1061./ पटना दिनांकः–..17.03.26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।